संख्याः– /II–(2)2018–4(05)/2012टीसी

प्रेषक,

देवेन्द्र पालीवाल
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 25 जुलाई, 2018

विषय : जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग में कोसी बैराज के निर्माण कार्यो के पुनरीक्षित आगणन की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1729/प्र0अ0/बजट/बी–1/(सामान्य) दिनांक 03 मई, 2018 एवं पत्र संख्या 542/प्र0अ0/बजट/बी–1 सामान्य, दिनांक 8 फरवरी, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग में एस0पी0ए0 कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत कोसी बैराज के निर्माण कार्यो के पुनरीक्षित प्राक्कलन की टीएसी वित्त द्वारा संस्तुत धनराशि रू0 3804.22 लाख की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना की अवशेष लागत रू0 691.84 लाख (3804.22–3112.38) के सापेक्ष रू0 246.87 लाख (रू0 दो करोड़ छियालिस लाख सत्तासी हजार मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2018–19 में निर्माणाधीन योजना के अवशेष कार्यो हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(i) प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधित स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

(ii) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(iii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा पचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करेंगे।

(iv) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

(v) विस्तृत आणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगी।

(vi) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

...2

(vii) मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशो का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(viii) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(ix) त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दि0 31 मार्च, 2019 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

(x) आवंटित धनराशि का समर्पण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। यदि आवंटित धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि समर्पित होगी तो इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अभियन्ता का उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(xi) धनराशि आहरण/सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान सं0–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–18–बांध/ बैराज का निर्माण एवं आधुनिकीकरण/पुनरोद्धार–051–निर्माण–02–अन्य रखरखाव–01–बांध/बैराज का निर्माण एवं आधुनिकीकरण/नहर/नलकूप/जलटंकी पुनरोद्धार (4700–18–800–02–03 से स्थानान्तरित)–24– वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 212/XXVII(2)/2018, दिनांक 20 जुलाई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव।

संख्याः–209 (1)/ II–(2)2017–4(05)/2012टीसी तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/अल्मोड़ा।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से;

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव